



कार्यालय—वाष्पयंत्र निरीक्षकालय (छत्तीसगढ़)
विभाग—वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

बायलर अधिनियम 1923 के संदर्भ में निरीक्षण बिंदु (Check List)

1. इकाई का नाम:—
2. बायलर क्रमांक:—
3. बायलर मालिक/एजेंट का नाम
4. बायलर विनियम 1950 के अनुसार — हाँ/नहीं
बायलर निरीक्षण के लिए तैयार है।
5. बायलर का जलभार परीक्षण किया गया— हाँ/नहीं
i) यदि हाँ तो जलभार परीक्षण संतोषप्रद हाँ/नहीं
पाया गया।
6. बायलर में मरम्मत कार्य किया गया है? -- हाँ/नहीं
7. बायलर में मरम्मत कार्य संतोषप्रद पाया गया है? — हाँ/नहीं
8. बायलर का निरीक्षण बायलर विनियम 1950 हाँ/नहीं
के विनियम 376 (ff) के तहत किया गया।
9. बायलर के आंतरिक भाग की स्थिति — हाँ/नहीं
संतोषप्रद है।
10. बायलर के बाह्य भाग की स्थिति — हाँ/नहीं
संतोषप्रद है।
11. बायलर के माउंटिंग की स्थिति — हाँ/नहीं
संतोषप्रद है।
12. टीप (यदि हो तो)